

महिला एवं बाल विकास विभाग,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार,
1-ए,पं0 रविशंकर शुक्ला लेन,कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001.

वर्ष 2016 के लिए असाधारण उपलब्धियों हेतु राष्ट्रीय बाल पुरस्कार

महिला एवं बाल विकास विभाग विभिन्न क्षेत्रों जैसे शैक्षणिक, कला, संस्कृति और खेल आदि में असाधारण क्षमता व विशिष्ट क्षमता वाले बच्चों को पहचान देने के लिए "असाधारण उपलब्धियों हेतु राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2016 के लिए आवेदन आमन्त्रित करता है । राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के निवासी बालक आवेदन भेज सकते हैं ।

इन पुरस्कारों की योग्यता के लिए 31 जुलाई 2016 तक बालक 5 वर्ष से 18 वर्ष की आयु वर्ग का होना अनिवार्य है। सरकारी राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित उम्र के प्रमाण पत्र सहित दो पासपोर्ट आकार की फोटो, आधार कार्ड की फोटो कॉपी, प्रेस क्लिपिंग, प्रमाण पत्र और अन्य सहायक दस्तावेज, उपलब्धियों का प्रमाण, निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग के पास 01.8. 2016 को सांय 5.00 बजे तक पहुंच जाने चाहिए।

आवेदन फॉर्म और योजना वेबसाइट www.wcd.nic.in से डाउनलोड की जा सकती है।

ह0/-

निदेशक (महिला एवं बाल विकास विभाग)

बच्चों को यौन शोषण, शारीरिक उत्पीड़न और अश्लील साहित्य से बचाएँ । नजदीक के पुलिस स्टेशन को सूचित करें अथवा डायल करें - 1098 (बाल- हैल्पलाइन)

DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT
GOVT. OF NCT OF DELHI
1-A, PT. RAVI SHANKAR SHUKLA LANE, K.G. MARG, NEW DELHI

NATIONAL CHILD AWARDS FOR EXCEPTIONAL ACHIEVEMENT FOR THE
YEAR 2016

Applications are invited for National Child Awards for Exceptional Achievement 2016 to give recognition to children with exceptional abilities and outstanding calibre in different fields such as innovation in any field including Arts, Culture, Sports, Scholastic achievements etc. at the National Level.

The applicant should be the resident of National Capital Territory of Delhi. The eligible children between 05-18 years of age as on 31.7.2016, may submit their applications along with age certificate (Date of birth) duly attested by a Gazetted officer, two passport size recent photographs, Aadhar number, press clippings, certificates and other supporting documents, as proof of achievements, which should be addressed to the Director, Department of Women & Child Development and should reach the office latest by 01.8.2016 till 5.00 p.m.

The scheme and the application form can be downloaded from the website
www.wcd.nic.in

DIRECTOR
(Department of Women &
Child Development)

SAVE A CHILD FROM SEXUAL ASSAULT, SEXUAL HARASSMENT AND
PORNOGRAPHY

Inform to the nearest Police Station OR Dial -1098 (CHILD HELPLINE)